

# उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय खूँटी

(सामाजिक सुरक्षा कोषांग, खूँटी)

ई – मेल :- ssekhunti13@gmail.com

--:: कम्बल निविदा के अतिरिक्त आवश्यक शर्तें ::--

वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन-बसर करने वाले अभावग्रस्त व्यक्तियों यथा-वृद्धों, दिव्यांगों, विधवाओं, भूमिहीनों, बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराए गए लोगों एवं भिक्षुकों को जाड़े में ठंड से बचाव के लिए मुफ्त कम्बल वितरण हेतु विभागीय ज्ञापांक 05/म0स0/रा0यो0-227/2019-44 (आ0) दिनांक 17.08.2021 के द्वारा GeM Portal से ऊनी कम्बल क्रय करने हेतु प्राप्त निदेश के आलोक में इच्छुक आपूर्तिकर्ता/कंपनी/संस्थान/फर्म/उत्पादक एवं उनके प्रतिनिधि आदि से निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा के लिए आवश्यक शर्तें :-

## 1. Specification & Dimension of woolen blankets

Sl	Criteria	Specification	Rate per unit
01	Size of blanket	90''X60'' (minimum)	
02	Type of blanket	Plain woolen blanket	
03	weight of blanket	2.00 kg (minimum)	
04	<b>Logo of Jharkhand Govt.</b> Printed on a piece of white Cloth and stitched on any corner of the blanket	3''X3''	



झारखंड सरकार

महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखंड, राँची ।

आपूरित कम्बल में झारखंड सरकार, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखंड सरकार का लोगो लगाना अनिवार्य है ।

2. निविदा संबंधी विवरणी एवं महत्त्वपूर्ण तिथि :-

क्र0	विवरणी	अभयुक्ति
01	क्रेता का नाम	उपायुक्त, खूँटी ।
02	निविदा की कुल राशि	4837000.00
03	जिला वेवसाइट एवं समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशन की तिथि	दिनांक 27.09.2021
04	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 18.10.2021 समय 1.00 बजे
05	निविदा जमा करने का स्थान	Gem Portal ( <a href="http://gem.gov.in">http://gem.gov.in</a> )

06	निविदा खोलने की तिथि	समाहरणालय सभागार दिनांक 18.10.2021 समय 3.00 बजे
07	निविदा दाता को कम्बल के दो नमुने, मूल डिमांड ड्राफ्ट एवं GeM पोर्टल पर अपलोड किए गए कागजातों (अनुक्रमणिका एवं पृष्ठांकित) का हार्ड कॉपी जमा करने की तिथि	दिनांक 18.10.2021 समय 2.00 बजे
08	प्रस्तावित सामग्री की आपूर्ति हेतु आवश्यक संख्या	(16122 लगभग)
09	क्रय समिति की बैठक	दिनांक 18.10.2021 समय 3.00 बजे
10	पत्राचार हेतु पता	प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, खूँटी।

### 3. निविदा प्रक्रिया हेतु आवश्यक शर्तें

निविदादाताओं को अपना निविदा GeM पोर्टल में समर्पित करना होगा

- तकनीकी बीड
- वित्तीय बीड

### 4. तकनीकी बीड

- EMD के रूप में कुल राशि का 02 प्रतिशत 96,740/- (छियानबे हजार सात सौ चालीस) रुपये किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, खूँटी के पदनाम से भुगतये होगा।
- सभी निविदादाता कंबल का दो नमूना (झारखण्ड सरकार का लोगो सहित) अलग-अलग पैकेट में दिनांक 08.10.2021 को अपराह्न 3.00 बजे प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, खूँटी में अनिवार्य रूप से जमा करेंगे।
- सभी निविदादाता निम्न दस्तावेजों/कागजात की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करना होगा :-
  - आचरण प्रमाण पत्र (उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक के द्वारा निर्गत)
  - पैन कार्ड
  - वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 की आयकर रिटर्न विवरणी
  - वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 का Audited financial Statement & Auditors Report
  - वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 का टर्न ओवर कम-से-कम 5,00,00,000/- (पाँच करोड़) रुपये वार्षिक होना चाहिए।
  - आपूर्तिकर्ता/कम्पनी/संस्थान/फर्म/अन्य निविदादाता का निबंधन प्रमाण पत्र
  - GST निबंधित प्रमाण पत्र एवं Form-3B GST Return (त्रैमासिक अथवा मासिक) दिनांक 30.06.2021 तक का

- (h) निविदादाता के स्वयं उत्पादक नहीं रहने की स्थिति में प्रस्तावित सामग्री के आपूर्ति/विक्रय हेतु उत्पादक फार्म का प्राधिकार पत्र
- (i) फर्म/प्रतिष्ठान के काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधी शपथ पत्र न्यूनतम (100 रुपए के नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित स्टाम्प पेपर पर)
- (j) निविदादाता द्वारा दिए गए दस्तावेज के सभी पृष्ठ पर आपूर्तिकर्ता/कम्पनी/प्रस्तावक/आपूर्तिकर्ता/फर्म आदि द्वारा मुहरबंद हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
- (k) आपूर्ति आदेश निर्गत होने के 15 दिन के अंदर कंबल आपूर्ति करने संबंधी स्वघोषणा पत्र (मूल रुप) संलग्न करना होगा।

## 5. वित्तीय बीड :-

- (i) निविदादाता द्वारा दर्ज दर की राशि प्रति कंबल सभी कर सहित स्पष्ट शब्दों में भी अंकित करना होगा। अन्य किसी प्रकार के कर का दावा मान्य नहीं होगा।
- (ii) सशर्त निविदा दर किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा।
- (iii) ऊनी कंबल का विशिष्टता एवं गुणवत्ता कंडिका (1) में उल्लेखित विवरणी के अनुरूप होगा।

## 6. मूल्यांकन एवं चयन प्रक्रिया

- (i) जिला स्तर पर गठित क्रय समिति द्वारा प्राप्त प्रस्ताव, गुणवत्ता एवं दर संबंधी समर्पित सूचना के आधार पर निविदादाता का मूल्यांकन एवं चयन किया जाएगा।
- (ii) सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोली जाएगी। क्रय समिति द्वारा निविदा संबंधी सभी दस्तावेजों एवं कंबल के नमूना की जाँच की जाएगी।
- (iii) निर्धारित स्वीकार्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की असमर्थता की स्थिति में प्राप्त तकनीकी बीड/संपूर्ण प्रस्ताव को रद्द करने का अधिकार समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
- (iv) तकनीकी निविदा में सफल घोषित निविदादाता का ही वित्तीय निविदा खोला जाएगा।
- (v) जिला क्रय समिति द्वारा तकनीकी निविदा/वित्तीय निविदा संबंधी दस्तावेज की प्रस्तुतीकरण/परियोजना की समझ/कार्यदक्षता/अनुभव आदि की निर्दिष्ट मापदंड के आधार पर सफल निविदादाता घोषित की जाएगी।
- (vi) जिला क्रय समिति को निविदा अन्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव के किसी भी भाग या संपूर्ण भाग को बिना कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

## 7. निविदा की अन्य महत्वपूर्ण शर्तें :-

- (i) जिला क्रय समिति द्वारा आवश्यकतानुसार प्राप्त धुलाई के पूर्व एवं पश्चात् कंबल की गुणवत्ता पर निर्णय लिया जाएगा।
- (ii) आपूर्ति किए जाने वाले कम्बल के नमूना पर पूर्ण विवरण यथा आकार एवं वजन इत्यादि अंकित होने चाहिए।
- (iii) आपूर्ति किए गए कम्बल चयनित/स्वीकृत नमूना के अनुरूप होने चाहिए। किसी प्रकार की भिन्नता पाए जाने पर आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी एवं उनके द्वारा की गई कंबल आपूर्ति के भुगतान का दावा मान्य नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आपूरित कंबलों को जब्त कर लिया जाएगा।
- (iv) कंबलों को खूँटी जिला के सभी चिन्हित 06 प्रखण्ड, नगर पंचायत एवं अन्य चिन्हित स्थल में जिला द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप आपूर्ति करना होगा। इसके लिए निविदादाता द्वारा अंकित दर के अतिरिक्त कोई भी हथालन एवं परिवहन व्यय अलग से देय नहीं होगा।
- (v) आपूरित कंबलों में damaged की स्थिति में स्वयं के खर्च पर बदलना होगा।
- (vi) अग्रधन (EMD) के रूप में जमा राशि निविदा के अन्तिमीकरण के पश्चात् असफल निविदादाता को वापस कर दी जाएगी।
- (vii) चयनित/चिन्हित निविदादाता को दो दिनों के अंदर प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, खूँटी के निहित शर्तों का एकरारनामा करना होगा।
- (viii) सफल निविदादाता को कार्यादेश के पूर्व कुल निविदा राशि का 10 प्रतिशत 4,83,700/- (चार लाख तिरासी हजार सात सौ) रुपये सुरक्षित जमा राशि का डिमांड Draft के माध्यम से जमा करना होगा।
- (ix) कम्बल की गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन Government/NABL accredited Laboratory से निर्गत मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।
- (x) सफल निविदादाता को कार्यादेश के साथ किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
- (xi) आपूर्तिकर्ता को वाहन का e-चालान देना अनिवार्य होगा।
- (xii) आपूर्ति की गई कम्बल की प्राप्ति रसीद एवं e-चालान (अंकित वजन, माप तथा संख्या) संबंधित प्रखण्ड/नगर पंचायत से प्राप्त कर जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, खूँटी में जमा करेंगे।

- (xiii) सफल निविदादाता द्वारा निविदा शर्तों के उल्लंघन करने पर अग्रधन एवं सुरक्षित जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। साथ ही स्वीकृत दर पर अन्य निविदादाता से कार्य लिया जाएगा।
- (xiv) क्रय समिति वित्तीय बीड में L1 होने के उपरांत अगर चाहेगी तो दर वार्ता कर सकती है। दर वार्ता में निर्धारित दर पर ही कार्यादेश दिया जाएगा।
- (xv) चिन्हित प्रखण्डों एवं नगर पंचायत में आपूर्ति करने के पूर्व कार्यादेश निर्गत होने के दो दिन के अंदर क्रय समिति के समक्ष 15 (पन्द्रह) ऊनी कम्बल प्रस्तुत करना होगा तथा जांचोपरान्त सही पाए जाने पर आपूर्ति की प्रक्रिया की जाएगी। नमूना कम्बल आपूर्ति आदेश में अंकित संख्या के अतिरिक्त होगा। इस संपूर्ण प्रक्रिया कर वीडियोग्राफी कराना सुनिश्चित करेंगे। इसका व्यय स्वयं आपूर्तिकर्ता वहन करेंगे।
- (xvi) आवश्यक प्रतीत होने पर एक से अधिक निविदादाता को L1 दर पर आपूर्ति आदेश दिया जा सकता है।
- (xvii) कार्यादेश में दिए गए निर्धारित समय सीमा के उपरान्त आपूर्ति नहीं किए जाने पर निम्न प्रकार से अर्थदण्ड का प्रावधान है :-
- |                              |   |                  |
|------------------------------|---|------------------|
| 1- 5 दिन तक                  | - | 5 प्रतिशत कटौती  |
| 6-10 दिन तक                  | - | 10 प्रतिशत कटौती |
| 10 दिन से अधिक विलंब होने पर | - | 20 प्रतिशत कटौती |
- (xviii) चयन प्रक्रिया के निर्णय पर किसी प्रकार का वाद दायर नहीं किया जा सकेगा।

025

## 8. पैकेजिंग सम्बन्धी निर्देश :-

- सभी उनी कम्बल Dry, Moisture free, & free from infestation होना चाहिए।
- कम्बल के प्रत्येक बैग में 25 की संख्या में कम्बल होना चाहिए और बण्डल के उपर जिला का नाम, आपूर्ति आदेश संख्या एवं दिनांक, आपूर्तिकर्ता के प्रतिष्ठान का नाम, **NOT FOR SALE** निश्चित रूप से अंकित होना चाहिए।

उपायुक्त,  
खूँटी।